न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.) सिरोही (राज.)
बइजलास पीठासीन अधिकारी हरि सिंह देवल (आर.ए.एस.)

रा.प्रा.पत्र संख्या 43 / 2022
GCMS No. 2022/99

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
1 श्री भेरूसिंह पुत्र श्री पहाडसिंह 2. श्री भंवरसिंह पुत्र श्री पहाडसिंह 3. श्री शैतानसिंह पुत्र श्री पहाडसिंह सर्व जातियी राजपूत निवासीयान सनपूर तहसील व जिला सिरोही		स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही

उपस्थित :-
1- प्रार्थी की ओर से वकील श्री महेन्द्रसिंह चौहान।
2- अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार (ना.तह.सिरोही)

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राज.अभिधृति अधिनियम 1955 के तहत वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता दिलाने बाबत

निर्णय दिनांक 11-07-2025

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 251 (क) की उपधारा (1) राज. काश्त अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता बाबत इस न्यायालय में दिनांक 27.07.2022 को पेश किया। जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सनपूर पटवार हल्का सनपूर भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मेरमाण्डवाडा तहसील व जिला सिरोही में प्रार्थीगण स्वतंत्र खातेदारी एवं कब्जे काश्त व हक अधिकार की कृषि भूमि आयी हुई है जिसके खाता संख्या 488 खसरा संख्या 31 रकबा 1.6100 हेक्टेयर है। उपरोक्त कृषि आराजी के प्रार्थीगण खातेदार कृषक है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि की वर्णित आराजी के खसरा संख्या 31 रकबा 1.6100 हेक्टेयर किस्म बारानी-3 की सरहद लगता खसरा संख्या 33 रकबा 0.2800 हेक्टेयर किस्म बारानी-3, खसरा संख्या 85 रकबा 1.5700 हेक्टेयर किस्म बारानी-3 व खसरा संख्या 35 रकबा 0.6400 हेक्टेयर किस्म गै.मु नाला की भूमि आई हुई है। जो वर्णित आराजी बिलानाम राजस्थान सरकार अप्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। उक्त आराजी से लगता सार्वजनिक आम रास्ता खसरा संख्या 84 है। प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी पर आने जाने हेतु तथा मवेशी, ट्रेक्टर, बेलगाडी इत्यादि के लिए राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता दर्ज नही है। प्रार्थीगण अपनी आराजी खसरा संख्या 31 रकबा 1.6100 हैक्टेयर पर आने जाने हेतु तथा मवेशी, ट्रेक्टर, बेलगाडी इत्यादि लाने ले जाने के लिए पिछले कई वर्षो से खसरा संख्या 33, 35 व

85 के किनारे (लोर) के सहारे सहारे प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि उपरोक्त के लिए रास्ते के रूप में निरन्तर व निर्बाध रूप से उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है. उक्त रास्ते की आराजी को संलग्न नक्शे में लाल स्याही से डोटेड A to B दर्शाया गया है। संलग्न नक्शे को प्रार्थना पत्र का अंग समझा जावें । उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड, जमाबंदी एवं नक्शे में तरमीम मय इन्द्राज नहीं होने से प्रार्थीगण को आवागमन में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है तथा उपरोक्त वर्णित रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता अंकित नहीं है। जिससे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में आने जाने व ट्रेक्टर, मवेशी तथा बैलगाडी हेतु संलग्न नक्शे में लाल स्याही डोटेड (A to B) दर्शाया गया है। उक्त रास्ता चाहते है तथा उक्त भाग को रास्ता घोषित कर उसका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाना चाहते है। प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अन्तर्गत माननीय न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकर रकम जमा करवाने हेतु तैयार है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर मौजा सनपुर, पटवार हल्का सनपुर, भू.अभि. नि. क्षेत्र मेरमाण्ड़वाड़ा तहसील व जिला सिरोही के खसरा संख्या 31 की वर्णित आराजी में आने जाने हेतु रास्ता संलग्न नक्शे में लाल स्याही से डोटेड (A to B) किया गया है जो खसरा संख्या 33, 35 व 85 में दर्शाया गया हैं जो अप्रार्थी के नाम दर्ज हैं. उक्त खसरा संख्या 35 गै.मु नाला को छोड़कर नक्शे में अंकित खसरा संख्या 33 व 85 के A to B भाग तक उक्त रास्ते को 4 मीटर चौड़ाई व संलग्न नक्शे वर्णितानुसार लम्बाई में रास्ता घोषित कर उसका राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शे में इन्द्राज व तरमीम करने के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र व फार्म नंबर 3 में संलग्न जमाबंदी प्रतियां, नक्शा प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो उक्त प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयां आश्वस्त होने से उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 23.08.2022 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को जारी नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने से शा.मि. किये गये। अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने तहसीलदार सिरोही की ओर से जवाब पेश करने हेतु समय चाहने से न्यायहित मे समय दिया गया।

प्रकरण में सुनवाई दिनाक 27–09–2023 को अप्रार्थी स्टेट की ओर से प्रस्तुत जवाब को जिसे शा.मि. किया गया तथा जवाब की प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई ।

अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब में कथन किया कि मौजा सनपुर के खसरा नम्बर 31 रकबा 01.61 हेक्टेयर भूमि के खातेदार भेरूसिंह, भंवरसिंह, शैतानसिंह पि. पहाडसिंह कौम राजपुत सा. सनपुर ने अपनी उक्त खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत पेश किया है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी

खसरा नम्बर 31 में जाने हेतु खसरा नम्बर 84 (रास्ता) व खसरा नम्बर 2161/85 (रास्ता) से होते हुए खसरा नम्बर 2160/85 व खसरा नम्बर 33 बिलानाम भूमि मे बने रास्ते का उपभोग करते है जो कि सबसे निकटम रास्ता है। उक्त प्रस्तावित रास्ते को संलग्न नक्शे में लाल स्यायी से दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 2161/85 रास्ते से लगते हुए खसरा नम्बर 2160/85 रकबा 0.25 हेक्टेयर किस्म बारानी–3 में से लम्बाई 100 मीटर × चौडाई 04 मीटर =400 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 33 रकबा 0.28 हेक्टेयर में से लम्बाई 50 मीटर × चौडाई 04 मीटर =200 वर्गमीटर दोनो खसरे का कुल रकबा 600 वर्गमीटर अर्थात् 0.06 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित रास्ते के उपभोग में आ रही है। जिसकी कीमत 346594 × 0.06 = 20796/-- बनती है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता सबसे निकटतम रास्ता है एवं इस अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।

विचाराधीन प्रकरण की पत्रावली वास्ते वकील प्रार्थी और पैरोकार सरकार की उक्त प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस दिनाक 08–07–2025 को रखी गई। जिस पर वकील प्रार्थी व अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार ने न्यायालय में हाजिर होकर उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए आर.टी एक्ट पर अंतिम बहस करने से बहस सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष ने अपने प्रार्थना पत्र व जवाब के तथ्यों को दोहराया।

हमने विचारण प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही की अंतिम बहस पर गंम्भीरता से मनन किया। विचारण प्रकरण की मुल पत्रावली मय प्रार्थना पत्र व जवाब स्टेट तहसीलदार सिरोही व संलग्न राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व संलग्न नक्शा ट्रेस का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया। संपूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया गया कि अप्रार्थी स्टेट की ओर से प्राप्त जवाब अनुसार तहसीलदार सिरोही ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार किया है तथा पैरोकार सरकार ने भी अपनी बहस में तहसीलदार सिरोही के जवाब अनुसार प्रार्थी को उसकी खातेदारी कृषि भूमि में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में खातेदारी भूमि में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है। अतः प्रार्थी को उसके खातेदारी आराजी में से होकर आने जाने के लिए मवेशी टेक्ट्रर बैलगाडी आदि के लिये रास्ते की सुविधाजनक उपयोग के लिए आत्यातिक आवश्यकता होने से एव वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता सिद्ध नहीं होने से तथा तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब में भी रास्ता मौके एव रेकर्ड मे नही होना बताया है इस कारण तहसीलदार सिरोही द्वारा प्रस्तावानुसार जगह से रास्ता दिया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एव तहसीलदार सिरोही के

प्रस्ताव अनुसार प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी कृषि भूमि मौजा सनपूर के खसरा नम्बर 2161/85 रास्ते से लगते हुए खसरा नम्बर 2160/85 रकबा 0.25 हेक्टेयर किस्म बारानी–3 में से लम्बाई 100 मीटर × चौडाई 04 मीटर =400 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 33 रकबा 0.28 हेक्टेयर में से लम्बाई 50 मीटर × चौडाई 04 मीटर =200 वर्गमीटर दोनो खसरे का कुल रकबा 600 वर्गमीटर अर्थात् 0.06 हैक्टेयर का मार्ग दिया जाना उचित होने से नियमानुसार रास्ता के लिये स्वीकृत की जाती है। चुँकि खसरा नम्बर 35 की किस्म – गै.मु.नाला है, जो कि चाहे गये रास्ते के बीच में पडता है उसमें से प्राकृतिक बहाव को प्रभावित किये बिना, जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर प्रार्थी अपने स्तर पर आवागमन की विभागीय स्तर पर कार्यवाही करे।

इस सम्बन्ध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत राजस्थान सरकार के श्रीमान संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप 6) विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी परिपत्र कमाक प. (52) राज–6/4 दिनांक 14.06.2013 बाबत राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के सम्बन्ध मे दिये गये प्रावधानो अनुसार उक्त रास्ते की भूमि स्वीकृत की गई भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रीति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार सिरोही को आदेश दिये जाते है (क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरो या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का दुगुना और (ख) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन अवधारित भूमि के तुल्य के अतिरिक्त यदि खडे वृक्ष या संरचना को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी

तहसीलदार सिरोही द्वारा उक्त रास्ता की भूमि की नियमानुसार कीमत अवधारित कर कीमत की राशि प्रार्थीगण द्वारा तहसील कार्यालय सिरोही मे जमा करवाने पर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को उपरोक्तानुसार राजकीय बिलानाम भूमि मौजा मौजा सनपूर के खसरा नम्बर 2161/85 रास्ते से लगते हुए खसरा नम्बर 2160/85 रकबा 0.25 हेक्टेयर किस्म बारानी–3 में से लम्बाई 100 मीटर × चौडाई 04 मीटर =400 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 33 रकबा 0.28 हेक्टेयर में से लम्बाई 50 मीटर × चौडाई 04 मीटर =200 वर्गमीटर दोनो खसरे का कुल रकबा 600 वर्गमीटर अर्थात् 0.06 हैक्टेयर का मार्ग दिया जाना उचित है। प्रार्थी उक्त रास्ते की भूमि की कीमत राशि अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को उपरोक्तानुसार भूगतान करने पर भूमिधारी तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव अनुसार रास्ते की भूमि कम कर राजस्व रेकर्ड में किस्म गैर मूमकीन सार्वजनिक रास्ता श्री सरकार बिलानाम खाते में दर्ज करने की कार्यवाही कर पालना सुनिश्चित करे। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हरि सिंह देवल)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर सिरोही (राज.)

भेरूसिंह व अन्य बनाम स्टेट
रा.प्रा.पत्र संख्या 43/2022
GCMS No. 2022/99

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही (राज.)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 11–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)